गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक 2082 /स्था./प्रशा./2006 बिलासपुर, दिनांक : 11/12/06

आदेश

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2002 की धारा 49 के प्रावधानानुसार गठित चयन समिति की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 01.12.2006 अतिरिक्त विषय क्रमांक–01 के निर्णयानुसार सुश्री जसिन्ता पूनम एक्का (अ.ज.जा.) आत्मज श्री आर.डी.एक्का की नियुक्ति निम्न शर्तो पर विश्वविद्यालय की स्ववित्तीय योजनांतर्गत संचालित प्रौद्योगिकी संस्थान के मेकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के व्याख्याता पद पर वेतनमान रूपये 8000–13500/– में दो वर्ष की परिवीक्षा पर (जो विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत बने परिनियम के अनुसार आगे बढ़ाई जा सकती है) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाती है।

कार्यभार ग्रहण की अवधि के लिये वेतन/यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जावेगा। वेतनमान के साथ समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते देय होंगे।

यदि परिवीक्षावधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया अथवा विश्वविद्यालय को इनकी सेवाओं की आवश्यकता न हो तो एक माह की पूर्व सूचना या एक माह का वेतन देकर सेवा से पृथक किया जा सकता है।

इनकी सेवायें, चालचलन संबंधी जांच उपयुक्त एवं अच्छा पाये जाने पर ही वैध होगी।

आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह के अन्दर पद का कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी। सेवा शर्ते विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत परिनियम 31 एवं अध्यादेश–4 के अंतर्गत संचालित होगी।

विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय लिखित रूप से सूचित करना होगा कि उपर्युक्त सभी शर्ते मान्य है।

उपर्युक्त शर्तों में किसी प्रकार की कोई शिथिलता प्रदान नहीं की जावेगी। वेतन एवं अन्य शर्ते उपर्युक्तानुसार होगी, अन्य कोई शर्त मान्य नहीं होगी। उक्त नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।

नियुक्ति पर होने वाला व्यय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्ववित्तीय मद में विकलनीय होगा।

यह नियुक्ति अनंतिम (Provisional) है तथा जाति/जनजाति प्रमाण पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्यधीन है और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग जैसा भी मामला हो, से संबंध होने का दावा झूठा है तो बिना कोई कारण बताये तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी कार्यवाही, जो की जा सकती है, संबंधी कार्यवाही के अतिरिक्त, संबंधित की सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी।

कार्यपरिषद के आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ0 क्रमांक 2083 /स्था./प्रशा./2006 बिलासपुर दिनांक : 11/12/06.

प्रतिलिपि :–

01. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
02. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक को कुलपति जी/कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ।
03. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
04. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर।
05. आयुक्त, उच्च शिक्षा, महाविद्यालयीन शिक्षा एवं पेंशन प्रकोष्ठ, विज्ञान महाविद्यालय परिसर, छत्तीसगढ शासन, रायपुर।
06. विभागाध्यक्ष, प्रौद्योगिकी संस्थान, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
07. वित्ताधिकारी/सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
08. सुश्री जसिन्ता पूनम एक्का, विनोबा मार्ग, शांतिनगर, औद्योगिक प्रक्षेत्र, जगदलपुर, बस्तर (छ0ग0) को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह के अन्दर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण, आयु, जाति, पात्रता तथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियॉं कार्यभार ग्रहण करते समय परीक्षण हेतु प्रस्तुत करें। कार्यभार ग्रहण करते समय सेवा अनुबंध की प्रति भी संपूर्तित कर जमा करना होगा। अतः संलग्न सेवा अनुबंध को भी संपूर्तित करें कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करें।
09. निजी नस्ती

उप–कुलसचिव (प्रशा./स्था.)